न्यायालय– रिषु भगत, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, टीकमगढ म.प्र.

Registration No.	2170/2022
Filling No.	7786/2022
C.N.R. No.	MP3601-008478-2022
Filling Date	10-12-2022

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केंद्र बडागांव,
जिला टीकमगढ म0प्र0

.... अभियोजन

//विरूद्ध//

हल्लू बुनकर तनय मनुआ बुनकर उम्र 40 वर्ष
निवासी ग्राम अजनौर थाना बडागांव जिला टीकमगढ म0प्र0

......................अभियुक्त

//उर्पापण आदेश//
(आज दिनांक **13.12.2022** को पारित)

1– आरक्षी केन्द्र मोहनगढ जिला टीकमगढ द्वारा अभियुक्त के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 376(2), 354, एवं 456 के संबंध में पूरक अभियोग पत्र विचारण हेतु प्रस्तुत किया गया है। धारा 376(2) भादंसं. अनन्य रूप से माननीय सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय होने से धारा 209 दंप्रसं. के अंतर्गत यह प्रकरण उपार्पित किया जाता है।

2– अभियुक्त को अभियोग पत्र एवं संलग्न प्रपत्र की नकलें प्रदान कर धारा 207 दं0प्र0सं0 की पालना की जा चुकी है।

3– प्रकरण में सहअभियुक्त गुटटू अहिरवार के विरूद्ध चालान पूर्व में प्रस्तुत किया जा चुका है।

4— अभियोजन कथा संक्षेप में इस प्रकार है कि अभियोक्त्री घटना दिनांक को उसके घर पर अकेली सो रही थी तभी अभियुक्त हल्लू बुनकर एवं गुटटू अहिरवार द्वारा एक राय होकर अनाधिकृत गृह प्रवेश कर अभियोक्त्री का सामूहिक बलात्कार किया। उक्त घटना के संबंध में अभियोक्त्री द्वारा घटना की रिपोर्ट लेखबद्ध कराई गई थी। उक्त रिपोर्ट पर अभियुक्त के विरूद्ध अपराध अंतर्गत धारा 376(2), 354 एवं 456 का पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। अभियोक्त्री की एमएलसी कराई गई। अभियुक्त गटटू को गिरफतार किया गया एवं माननीय उच्च न्यायालय के आदेश अनुसार जमानत मुचलके पर छोडा गया। अभियुक्त हल्लू घटना दिनांक से फरार होने के कारण आरोपी गटटू अहिरवार के विरूद्ध चालान क 61/04 न्यायालय में प्रस्तुत किया जा चुका है। फरार आरोपी हल्लू बुनकर को दिनांक 06.11.2022 को गिरफतार कर न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है। संपूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र क्र 61ए/04 न्यायालय में दिनांक 12.12.2022 को प्रस्तुत किया। धारा 376 भादंसं. अनन्य रूप से माननीय सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय होने से प्रकरण उपार्पित किया जाता है।

5— अभियुक्त के विरूद्व भारतीय दण्ड संहिता की धारा 376(2), 354, एवं 456 के अंतर्गत संज्ञान लिया गया है।

6— अभियोग पत्र अनुसार प्रकरण में जप्तशुदा गवाहान मुताबिक जप्तीपत्रक के जप्त कर कब्जा पुलिस किया गया।

7— प्रकरण मे जप्तशुदा संपत्ति के संबंध में मुद्देमाल नाजिर तथा थाना प्रभारी बडागांव को पत्र प्रेषित किया जावे।

8— थाना प्रभारी बडागांव को निर्देशित किया गया कि प्रकरण की केस डायरी दिनांक 24.12.2022 को सुबह 11:00 बजे माननीय सत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत रहें।

9— उपार्पण की सूचना लोक अभियोजक मालखाना अनुविभाग, थाना प्रभारी बडागांव एवं अभियोजन अधिकारी को प्रेषित की जावें।

10— निष्पादन लिपिक को निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण विधिवत् तैयार कर मय केस डायरी के माननीय सत्र न्यायालय में नियत दिनांक के पूर्व प्रस्तुत करें।

11— प्रकरण माननीय सत्र न्यायालय न्यायाधीश महोदय के समक्ष आरोपी हल्लू बुनकर की उपस्थिति हेतु दिनांक 24.12.2022 को पेश हो।

खुले न्यायालय में दिनांकित हस्ताक्षरित
मुद्रांकित कर पारित किया गया।

मेरे निर्देश पर टंकित किया गया।

सही / —
रिषु भगत
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
टीकमगढ म0प्र0

स्थान—टीकमगढ
दिनांक 13.12.2022